



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू०सी०पी०/06/66/2023/एफ०सी०

दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद-देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन किमी० 0.000 से किमी० 20.600 तक के मौजूदा सड़क चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 19.8345 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/146663/2021)।

सन्दर्भ: कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 2675/FP/UK/ROAD/144340/2021 दिनांक 07.05.2022 एवं पत्रांक 1313/12-1: देहरादून: दिनांक 04-11-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल/ अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 02.12.2024 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरांत केन्द्र सरकार- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद-देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन किमी० 0.000 से किमी० 20.600 तक के मौजूदा सड़क चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 19.8345 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

(क.) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

1- प्रतिपूरक वनीकरण:

(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 40.00 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम छमरोली (15.00 है०), मखदेती (10.00 है०) एवं द्वारा (15.00 है०) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।**

(ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के० एम० एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस० एम० सी कार्य और डब्ल्यू० एल० एम० पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

2- प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर-वन/ सिविल सोयम भूमि को चरण-II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।

3- राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर-वन / सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा(ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण-II/ अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

4- शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **19.8345** हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5- प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 3357 वृक्षों एवं 1085 सैपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़

राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

- 6- **In case the CA rates are revised then the user agency would have to deposit the remaining amount as per the revised rates in the CAMPA fund. The user agency shall submit an undertaking in this regard.**
- 7- प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass / overpass, अन्य कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- 8- वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।
- 9- गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
- 10- राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।
- 11- एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- 12- परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।
- 13- अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in/>) पर अपलोड की जाएगी।

(ख.) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण- II अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

- 1- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- 3- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास

- जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
- 4- राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।
 - 5- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक / राज्य वन्यजीव बोर्ड / राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्तें, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।
 - 6- वैकल्पिक / प्रतिपूरक व्रक्षारोपण क्षेत्र में पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।
 - 7- वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।
 - 8- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
 - 9- केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
 - 10- वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
 - 11- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
 - 12- संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
 - 13- प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।
 - 14- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।
 - 15- परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
 - 16- वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
 - 17- केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

- 18- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
- 19- The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.
- 20- The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable.
- 21- The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable.
- 22- प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
- 23- यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 24- प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।
- 25- उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अंतर्गत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।

This bears the approval of competent authority.

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ 0 सी 0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कक्ष क्रमांक ए-232, द्वितीया तल, अग्नि स्कंध, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली-110003 (Email: nationalcampa-moefcc@gov.in).
4. प्रभागीय वन अधिकारी, देहरादून वन प्रभाग।
5. आदेश पत्रावली।